

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019

1. किशनगोपाल उम्र 30 वर्ष पुत्र रामनारायण चौधरी

2. जीतराम उम्र 22 वर्ष पुत्र रामनारायण चौधरी

समस्त जाति जाट निवासीगण नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (अजमेर) — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:— श्री नवल किशोर वकील— प्रार्थी

तहसीलदार केकड़ी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 22/11/19

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नायकी पटवार हल्का धुवालिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर की आराजी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया	पुराना			
326	290	387	1.32	बारानी 2
		388	0.86	बारानी 2
		389	0.96	बारानी 2
		390	2.40	बारानी 2
		591	0.36	नहरी 1
		920	0.31	बा0उत्तम
		किता 6	4.21	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीगण ही इस आराजी से काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा को लेकर काश्त करने में आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात का नाप चौप करवाकर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाना चाहता है जिससे भविष्य में प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सके। प्रार्थीगण ने करीब 01 माह पूर्व अप्रार्थी को अपनी आराजीयात की सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है अतः यह प्रार्थना पत्र स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी (जिला-अजमेर)



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 29.04.2019 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण की आराजीयात का सीमाज्ञान अप्रार्थी द्वारा नहीं करवाया गया तब से अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा दावा प्रार्थीगण उचित है। अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने पर बहस पक्षकारान की सुनी गई।

प्रार्थीगण के लायक वकील श्री नवल किशोर पारीक ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ग्राम नायकी तहसील केकड़ी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का मौके पर नाप-चौप कर स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढ़ी)स्थापित करने हेतु अप्रार्थी को आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी ने अपनी प्रत्युत्तर बहस में कथन किया कि प्रार्थी का दावा उचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रश्नगत आराजी उनकी खातेदारी में स्थित है तथा नियमानुसार खातेदार अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का हक रखते हैं। इस प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी का सीमाकन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा यह स्थिति उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमा कराने पर अनुभवी कार्मिकों की टीम गठित कर सीमाज्ञान की कार्यवाही नियमानुसार यथा शीघ्र करने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र का खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)  
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)  
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

